

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

शालू पत्नी सतीश जाति राजपूत नि० कुतीना तह० नीमराना वगै०

बनाम

तारावती पुत्री मुरसद्धी जाति राजपूत नि० कुतीना तह० नीमराना वगै०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आ०टी०ए०एक्ट


नं० 179


सन् 2021




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम की तामिल में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--


26.07.2021 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित आये। प्रा० पत्र अतिआवश्यक प्रकृति का है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन, अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1356, 1357, 1358 ग्राम कुतीना तह० नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण सं० 01, 09, 10, 11 रजि० नोटिस व शेष अप्रार्थीगण जरिये साधारण नोटिस तलब हो। बाद रजि० तलबी पत्रावली दिनांक 02.09.2021 को पेश हो।


उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

02/9/21 आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय 
पीठासीन अधिकारी ~~अलवर~~

मिस्त्रि  पत्रावली पेश की 
सं० 09/11/21 को पेश हो। 

18-11-21 आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अमियान-2021 में निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत ~~कुतीना~~ पर पेश हुई। वकूलाय/फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में राजीनामा एवं आपसी सहमती नहीं बनने पर पत्रावली न्यायालय में दिनांक ~~11.11.21~~ 11.11.21 को पेश हो। 

18.8.35 गंगे पत्रावली केस नं
 पत्रावली केस नं 145 का
 ये कुंज ये नं 145 का
 212 278 भी नं 145 का
 नं 145 के नं 145 का
 किताब नं 145 का
 कुंज के नं 145 का
 नं 145 का नं 145 का
 नं 145 का नं 145 का
 नं 145 का नं 145 का

उपसंहार अधिकारी
नीमखना (कोटपूली-बरो)